न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–362 सन् 2006

अफजल आलम वो अन्य .....वादीगण

बनाम

जफरूल हक वो अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 05.01.2022

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 18.03.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि इस वाद में वादी सं0 05 एहतेशाम अली की मृत्यु दिनांक 28.11.2017 को हो गई है जिन के वारिसान इस वाद में आवश्यक पक्षकार हैं। अतः निवेदन है कि वादी सं0 05 का नाम कलमजद करते हुए आवेदन में लिखित उनके वारिसान को प्रतिस्थापित किया जाए।

वादी की ओर से अबेटमेंट सेटेसाईट एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतगत आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है कि वादीगण की ओर से वादी सं0 01 अफजल आलम ही वाद की पैरवी करते थे। जो कैंसर से पीड़ित हो गए हैं और सख्त बिमार थे जिसके कारण प्रतिस्थापना आवेदन समय पर दाखिल नहीं कर सर्के। अतः निवेदन है कि विलंब को माफ करते हुए एवं उपसमन को आपास्त करते हुए प्रतिस्थापना आवेदन को स्वीकार किया जाए। पुनः वादी की ओर से दिनांक 18.03.2021 को आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल कर कथन है कि इस वाद

में प्रतिवादी सं0 01 समशाद आलम वो प्रतिवादी सं0 01 (क) मुस्ताक आलम का निधन कमशः दिनांक 26.01.2018 वो 31.12. 2016 को हो गया जिसके वारिसान इस वाद में आवश्यक पक्षकार है। जिसे न्यायाहित में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 01 समशाद आलम एवं प्रतिवादी सं0 01 (क) मुस्ताक आलम का नाम वादपत्र से कलमजद कर आवेदन में लिखित उनके वारिसानों को प्रतिस्थापित किया जाए। वादी की ओर से उपसमन को आपास्त करने हेतु एवं विलंब को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर कहा है कि वादी सं0 01 जो इस वाद में पैरवी करते थे वो कैंसर रोग से बुरी तरह पीड़ित है इसलिए ससमन प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल नहीं कर सके। पुनः कहा है कि कोविड–19 के महामारी के कारण एवं लॉक डाउन के कारण भी प्रतिस्थापना आवेदन ससमय दाखिल नहीं किया जा सका। अतः निवेदन है कि विलंब को माफ करते हुए प्रतिस्थापना आवेदन को स्वीकार किया जाए।

प्रतिवादी सं0 02 की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 12.08.2021 को दाखिल किया गया। जिसमें उनका कथन है कि वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन कानून और तथ्य की दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। अर्जीदावी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस वाद में कई वादीगण हैं। उसके बावजूद वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मृत्यु की सूचना अभिलेख पर देने के बावजूद वादी प्रतिस्थापना आवेदन समय से नहीं दिए हैं और अपनी मर्जी के अनुसार अफजल आलम जो कई साल से ठीक होकर इस न्यायालय के कुछ दूरी पर दिघवारा में रहकर अपना व्यावसाय करते हैं एवं समय के अनुसार न्यायालय आकर अपना पैरवी करवाते हैं। बीमारी का बहाना बनाकर प्रतिस्थापना आवेदन पक्षगणों के मृत्यु के लगभग 4 साल बाद

दाखिल किए हैं। अफजल आलम के बीमारी का बहाना बनाकर वादी इस वाद में उपसमन आपास्त करने का निवेदन किए हैं। उनका बतौर एक स्वस्थ साक्षी न्यायालय में दिनांक 28.07.2017 को उनका प्रति परीक्षण हुआ है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 05 एहतेशाम अली एवं प्रतिवादी सं0 01 समशाद आलम एवं प्रतिवादी सं0 1 (क) मुस्ताक आलम पक्षकार थे। जिनकी मृत्यु क पश्चात् दोनों प्रतिस्थापना आवेदन वादी की ओर से काफी विलंब से दाखिल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में न्यायहित में दोनों प्रतिस्थापना आवेदन को 1000/—रूपये विलंब शुल्क के साथ उपसमन को आपास्त करते हुए एवं विलंब को माफ करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि प्रतिवादी सं0 02 को प्रदान कर मृत वादी एवं प्रतिवादीगण को कलमजद करते हुए वादपत्र में उनके वारिसानों को प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक 25.01.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सानपुर सारण।